न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–361 सन् 2006

अनवारूल हक.....वादी

बनाम

इहसानू हक वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 21.05.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है उचित पैरवी करें।। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.11.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 01 इहसानू हक बिना राय अन्य प्रतिवादीगण को अपने हिस्से से ज्यादा सभी तकरारी एराजी भूमि सिडियुल नं0 01 वो 02 1. खाता सं0 709 सर्वे नं0 1809 रकबा 28.4540 मो0 70,50,000/–रूपया 2. खाता सं0 181 सर्वे नं0 1810 रकबा 34.6110 मो0 40,50,000/–रूपया का भू–माफियों से बेच दिया है तथा अभी भी बेचने के फेर में लगे हैं जिन भूमि को प्रतिवादीगण ने बदनियती से बेच दिया है उकना नाम, पता इस आवेदन में दिया गया है। न्यायहित में तकरारी भूमि सिडियुल नं0 01 वो 02 के केताओं का नाम वादपत्र के प्रतिवादी के खाने में जोड़ना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि इस आवेदन में दिया गया केताओं का नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। 1. सुरेन्द्र कुमार (आर0ए0भी0जी0एस0 प्राईवेट लिमिटेड) वल्द स्व0 रामानंद सिंह पता– 721/ए एण्ड सातवी फलोर साईबर, हाईटास, गोमती नगर, लखनउ, उत्तर प्रदेश।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 18.01.2022 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है। वादी ने गलत बयान के साथ यह वाद दाखिल किया है। जिसमें बक्सीसनामा

दिनांक 07.10.1997 नविस्ते मो0 याकूब बनाम एहसानू हक प्रतिवादी सं0 01 का जाली फरेबी घोषित करने हेतु लाया है जो इस वाद में अपना 2/8 हिस्से का दावा के निस्वत विवादित एराजी में गलत बयानों के साथ दाखिल किया है और उसी जायदाद का बंटवारा वादो और प्रतिवादी के पिता के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रतिवादी ने जो बैनामा विवादित एराजी के निस्वत तहरीर वो तकमिल किया है प्रतिवादी को अपने हक के तहत वोसिका तहरीरी करने वो किसी भी रूप में इस्तेमाल करने का कानून पूर्ण हक है और कानून प्रतिवादी को अपने हक का इस्तेमाल करने से रोक रखने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है। वादी ने जो भी जमीन बैनामा किया है वह अपने हक से किया है। जिस वजह बैनामा से संबंधित बैदार इस वाद में जरूरी फरीक नहीं है। बक्सीसनामा दिनांक 07.10.1997 जाहिरा नविस्ते मो0 याकूब बनाम एहसानू हक कानूनी रूप से बक्सीसनामा वाली एराजी पर पूर्ण हकियत प्राप्त है। इसी के आधार पर प्रतिवादी सं0 01 ने बैदार को बैनामा तहरोरी कर दखल कब्जा करा दिया है। बक्सीसनामा के एराजी के निस्वत वादी को कभी सरोकार नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 02.11.2021 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर दो किता बक्सीसनामा जाहिरा नविस्ते मो0 याकूब बनाम एहसानू हक दिनांक 07.10.1997 सिडियुल नं0 02 में वर्णित एराजी को जाली फरेबी, बेकार, बेअसर, गैर कानूनी वो शुन्य घोषित करने हेतु वादपत्र दाखिल किया है। वादीगण ने विवादित एराजी को खाता सं0 709 सर्वे नं0 1809 वो खाता सं0 181 सर्वे नं0 1810 को अन्य व्यक्ति को बेच देने की बात अपने आवेदन में लिखा है और केता को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया है। प्रतिवादी सं0 01 ने अपने प्रतिउत्तर में आवेदन में लिखित भूमि को

बेचने की बात स्वीकार की है। ऐसी परिस्थिति में केता को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में विवादित भूमि से संबंधित केता को पक्षकार बनाये जाने हेतु वादी की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश के आलोक में अग्रिम कार्रवाई करें ।

वाद दिनांक 18.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।